राजस्व लोक अरालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2017"

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : वारसिंह, RAS.
पत्रावली संख्या : 12/16 (वाद)

1. श्रीमती लेहरकुँवर पत्नी श्री भैरूसिंह राजपूत निवासी कुण्डई (झमुनाखेड़ा) उप तहसील भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

...........वादीया

बनाम

1. श्री भगवान पिता अमरा डांगी निवासी भुणा तालाब (वाणिया तालाब) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
2. श्री रता पिता दौला डांगी निवासी भुणा तालाब (वाणिया तालाब) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
3. श्री लकमा पिता खेमा डांगी निवासी भुणा तालाब (वाणिया तालाब) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
4. श्री प्रथा पिता खेमा डांगी निवासी भुणा तालाब (वाणिया तालाब) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
5. श्री खेता पिता खेमा डांगी निवासी भुणा तालाब (वाणिया तालाब) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
6. राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर ।
7. उपपंजीयक वल्लभनगर जिला उदयपुर ।

.............प्रतिवादीगण

उपस्थित : 1–श्री फारूक मोहम्मद, अधिवक्ता वादीया
2–श्री रमेशचन्द्र बडाला, अधिवक्ता प्रति.संख्या 3,4,5

वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]नाक [illegible]3.05.17

1. पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान [illegible] कोर्ट कुण्डई पर पेश हुई । प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रक[illegible] है कि वादीया द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया । निवेदन किया कि मौजा कुण्डई पटवार मण्डल कुण्डई तहसील वल्लभनगर में

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रेक)
वल्लभनगर, जिला– उदयपुर (राज.)

स्थित आराजी नम्बर 1376, 1417 एक्सडी रकबा 8 बीघा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भगवान पिता अमरा रता पिता दौला लकमा प्रथा खेता पिता खेमा गंगा बेवा जीवा डांगी हि.ब. सा. भुणा तालाब मे. देह एवम नामान्तरकरण संख्या 652 दिनांक 08.10.15 बिकाव से आराजी नम्बर 1376, 1417 एक्सडी रकबा 8 बीघा गंगा बेवा जीवा 1/4 के बजाय श्रीमती लेहरकुँवर पत्नी भैरूसिंह 1/4 राजपुत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई । जिसकी नकल जमाबन्दी सम्वत 2051–54 की पेश की गई है । निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 1/4 हिस्सा होकर आधिपत्यधारी है । एवम खातेदार काश्तकार है । पक्षकारान सभी उक्त हक हिस्से के अनुसार बॅटवारा कराने पर सहमत है ।

2. चूँकि सभी पक्षकारान उक्त हक हिस्से के अनुसार बॅटवारा कराने पर सहमत है । इस कारण से वाद वादीया स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

3. अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है कि मौजा कुण्डई पटवार मण्डल कुण्डई तहसील वल्लभनगर में स्थित आराजी नम्बर 1376, 1417 एक्सडी रकबा 8 बीघा भूमि में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का 1/4 हिस्सा है । इसी हिस्सेनुसार पक्षकारान में विधिक रूप से विभाजन किया जावे । बॅटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु नायब तहसीलदार भीण्डर को 500/–रूपये शुल्क पर बॅटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि बॅटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सभी पक्षकारान को तलब किया जावे तथा यथासंभव उनकी उपस्थिति में बॅटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावे । विभाजन सूची, नक्शा ट्रेस 2–2 प्रतियों में पेश किये जावे । फीस कमिश्नर वादीया मौके पर अदा करें ।

4. प्रारम्भिक पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम[illegible] ।

5. निर्णय खुले ईजलास कैम्प कोर्ट "कुण्डई " पर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:41:38 IST
Reason: SelfAttested

(वारसिंह) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर
कार्यपालक दण्ड नायक (फास्ट ट्रेक)
वल्लभनगर, जिला– उदयपुर (राज)